वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 92/2025 **दिनांक- 10.03.2025**

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-10.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-दीदारगंजः- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 10.03.2025 को उ0नि0 नागेन्द्र कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय के हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त रमेश यादव पुत्र रामशकल यादव ग्राम अमरेथू थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र 35 वर्ष को चरौवा मोड़ तिराहा पावर हाउस के सामने से समय करीब 7.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

रमेश यादव पुत्र रामशकल यादव ग्राम अमरेथू थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र 35 वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	104/08	323,498ए,504,506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ
2	198/20	147,148,149,341,364,323,504,506 भादवि	दीदारगज	आजमगढ
3	199/20	147,148,353,504,506 भादवि	दीदारगंज	आजमगढ
4	345/23	3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट	फूलपुर	आजमगढ
5	67/25	3/25 आर्म्स एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद तमंचा 12 बोर
02. एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

02.थाना-बरदहः-चोरी करने वाला 01 अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस तथा चोरी के एक अदद मोबाइल के साथ गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 10.03.2025 उ0नि0 कुलदीप कुमार मय हमराह के साथ चौकी ठेकमा से रवाना होकर अगामी होली व रमजान त्यौहार के दृष्टिगत देखभाल क्षेत्र भ्रमण करता हुआ त्रिवेणी मोड़ पहुँचकर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनो की चेकिंग कर रहे थे कि चेकिंग के दौरान गोड़हरा की तरफ से एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखायी दिये जिसे रूकने का इशारा करने पर गाडी चालक द्वारा गाडी को मोड़कर भागने का प्रयास किया गया जिसे घेरमारकर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपना नाम आशू यादव पुत्र प्रशान्त यादव ग्राम कसड़े श्रीकान्तपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से भागने का कारण पूँछते हुए उसके कब्जे से एक अदद रिवाल्वर 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोबाइल कीपैड गोल्डेन रंग का स्विचआफ दशा मे तथा 460/- रुपये नगद बरामद किया गया। जिसके बारे में पूँछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया यह मोबाइल मैने दिनांक 19.01.2025 को जौनपुर से इसी मोटरसाइकिल से आते समय रात मे बरदह बाजार में एक मोबाइल की दुकान का जंगला तोड़कर उसमें घुसकर अन्दर रखे 03 मोबाइल व 9,000 चुराया था। जिसमें से 02 मोबाइल हमने पहले ही किसी को बेच दिया था जिसको मै जानता नहीं हू तथा उससे प्राप्त रुपये खाने पीने मे खर्च हो गये और एक मोबाइल जो अभी मेरे पास से आप पाये है यह उसी बरदह की दुकान से चोरी किया गया मोबाइल है। तथा जो आपने 460/- रु0 हमारे पास से पाये वह भी उसी दुकान से चोरी किये गये 9000/- रु0 मे का शेष है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का मोबाइल व रूपये माल मसरुका का बरामदगी मु0अ0सं0 18/25 धारा 331(4),305 बीएनएस से सम्बन्धित है बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अवैध तमंचा बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 67/25 धारा 3/25 आर्म्स पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. आशू यादव पुत्र प्रशान्त यादव ग्राम कसड़े श्रीकान्तपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद अवैध रिवाल्वर 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर (मु0अ0सं0 67/25)
2. एक अदद मोबाइल व 460/- रुपया (मु0अ0सं0 18/25)

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 67/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 67/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 18/25 धारा 331(4),305,317(2) बीएनएस

03.थाना-रानी की सराय:-चोरी की 02 अदद मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.01.2025 को वादी रामकेश यादव पुत्र स्व0 बालेश्वर निवासी शहवाजपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि दिनांक 05.01.2025 को समय लगभग 3.30 बजे शाम को मेरा लड़का बेलइसा चौराहा वीए चाय की दुकान के पास बाइक U.P.50X9222 प्लेटिना को खड़ी करके निजी कार्य करने चला गया लगभग 15 मिनट बाद वापस आया तो बाइक नहीं मिली जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 09/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 10.03.2025 को उ0नि0 हैदर अली मंसूरी मय हमराह के देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति में मे चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग मे मौजूद थे कि रोवां की ओर से आ रहे पैशन मोटर साइकिल सवार व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो हड़बड़ा कर गाड़ी मुड़ा कर भागना चाहा जिसे हमराही पुलिस बल के माध्यम से चेकपोस्ट के पास ही रोक लिया गया गया जिससे नाम पता पूछा गया तो अपना नाम राजन विश्वकर्मा पुत्र लालमनी विश्वकर्मा निवासी पलिया सूफीगंज थाना मेंहनगर आजमगढ उम्र 32 वर्ष बताया पैशन मोटरसाइकिल नं. UP 50 S 0506 के सम्बन्ध में कड़ाई से पूंछा गया तो बताया कि यह मोटरसाइकिल ग्राम संजरपुर थाना सरायमीर से दिनांक 07.03.2025 को सुबह के समय चुराया था जिसे ग्राहक तलाश कर बेचने के लिये ले जा रहा था की पकड़ लिया गया । तथा अन्य चोरियों के सम्बन्ध में पूंछताछ करने पर बताया कि माह जनवरी के प्रथम सप्ताह मैने एक मोटरसाइकिल बेलइसा चौराहे के पास से चोरी की थी जो मैने बेच दिया है तथा आगे पूछताछ मे बताया कि मैने बेलइसा से चोरी की गयी बाइक नं.U.P.50X9222 बजाज प्लेटिना को मुराली बांसफोर निवासी सरायमीर रेलवे फाटक थाना सरायमीर आजमग़ढ को 5000/ रुपये में बेच दिया है और बताया कि माह दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में जगरनाथ सराय अण्डर पास से पहले एक स्प्लेण्डर प्लस मोटर साइकिल UP50CL0604 चोरी की थी जिसे शाहखजुरा के आगे सुनसान स्थान पर गाड़ी का पेट्रोल खतम होने के कारण वही छोड़ दिया था । पकड़े गये राजन विश्वकर्मा सेबेलइसा चौराहे के पास से चोरी की गयी मोटरसाइकिल प्लेटिना नं.U.P.50X9222 बरामद कराने हेतु कहा गया तो तैयार हो गया जिसे साथ लेकर राजन विश्वकर्मा उपरोक्त के निशादेही पर रोवां गांव के प्राइमरी स्कूल के पास से प्लेटिना गाड़ी व चालक मुराली बांसफोर पुत्र स्व.विन्ध्याचल बांसफोर निवासी इटौरा चौबेपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ वर्तमान पता सरायमीर रेलवे फाटक थाना सरायमीर आजमग़ढ उम्र 37 वर्ष बताया को समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. राजन विश्वकर्मा पुत्र लालमनी विश्वकर्मा निवासी पलिया सूफीगंज थाना मेंहनगर आजमगढ
02.मुराली बांसफोर पुत्र स्व.विन्ध्याचल बांसफोर निवासी इटौरा चौबेपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ वर्तमान पता सरायमीर रेलवे फाटक थाना सरायमीर आजमग़ढ

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 087/2025 धारा 303(2)बीएनएस थाना सरायमीर आजमगढ़
02.मु0अ0सं0 009/2025 धारा 303(2)बीएनएस थाना रानी की सराय आजमगढ़
03.मु.अ.स. 155/19 धारा 379/411 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़
04.मु.अ.स. 117/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना रानी की सराय आजमगढ़

बरामदगी:-

01.बाइक नं.U.P.50X9222 बजाज प्लेटिना सम्बन्धित मु.अ.स. 09/25 थाना रानी की सराय आजमगढ़
02.मोटरसाइकिल नं. UP 50 S 0506 पैशन प्रो सम्बन्धित मु.अ.स. 87/25 थाना सरायमीर आजमगढ़

04.थाना-रानी की सराय:-चोरी करने वाला 01 अभियुक्त चोरी की एक जोडी कानफूल के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.03.2025 को वादी रामरतन पटेल S/O स्वर्गीय अछैवर पटेल ग्रा0 मलिक हुसेनपुर थाना रानी की सराय जनपद-आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि आज दिनांक 7.3.2025 को समय करीब 11.00 बजे दिन में मेरी पत्नी खेत में मटर तोड़ने के लिये गई थी वहाँ से 02 व्यक्ति मोटर साइकिल सवार आकर पता पूछने के बहाने वादी के पत्नी के दोनों कान के कनफुल जिसे उतारकर उसके द्वारा अपने पास रखा गया था, चुरा कर भागने लगे काफी शोर मचाया किन्तु वह भाग निकले जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 61/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना उ.नि. ओमप्रकाश यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 10.03.2025 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहन रानी की सराय बाजार मे मौजूद थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी करने वाला अभियुक्त मोटरसाइकिल से गम्भीरपुर से आजमगढ़ की तरफ रहा है। इस सूचना पर तत्काल कोटिला हाईवे पर (रानी की सराय कट के पास) खडा होकर मोटरसाइकिल के आने का इंतजार करने लगा थोडी देर के बाद एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जिन्हें नजदीक आने पर रुकने का इशारा किया कि मोटरसाइकल चला रहा व्यक्ति मोटरसाइकिल वापस मोड़ कर भागना चाहा कि जिसे पुलिस द्वारा घेरमारकर समय करीब 02.20 बजे गिरफ्तार कर लिया गया तथा पीछे बैठा व्यक्ति मोटरसाइकिल से कूद कर खेतों से होते हुए भाग गया। पकड़े गये व्यक्ति से भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब दिनांक 07.03.2025 को मैने मलिकहुसेनपुर से एक महिला का कान का कनफुल(टप) चोरी किया गया था । मामला शान्त हो जाने के बाद आज मै उसे बेचने के लिए आजमगढ़ जा रहा था, कि आप लोग पकड़ लिये। पकडे गये व्यक्ति की जामा तलाशी लेते हुए उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना बनाम बीरु चौहान पुत्र नन्दलाल चौहान नि0 कतरा कोठिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष बताया तथा जामा तलाशी से उसके पास से चोरी गये एक जोडी कनफुल (टप्स) पीली धातू बरामद किया गया। अन्य अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

01.बीरु चौहान पुत्र नन्दलाल चौहान नि0 कतरा कोठिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 61/2025 धारा 303(2)बीएनएस थाना रानी की सराय आजमगढ़

बरामदगी:-

01.चोरी का एक जोड़ी कानफुल सोने की